

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2211

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

**राजस्थान में अतिरिक्त उर्वरक डिपो**

**2211. श्रीमती संजना जाटव:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में राजसहायता वाले उर्वरकों के वितरण केंद्र पर्याप्त संख्या में न होने के कारण राजस्थान के भरतपुर जिले के किसानों को ऐसे उर्वरक प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे छोटे किसानों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है; और
- (ख) यदि हां, तो उक्त जिले में स्थापित किए गए या स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त उर्वरक डिपो, सहकारी केंद्रों और ऑनलाइन राजसहायता निगरानी प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) और (ख): उर्वरक विभाग का अधिदेश राज्य स्तर पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का आकलन और वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार, राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भरतपुर जिले में, भरतपुर, हिंडन और अलवर रेक केंद्रों से सब्सिडी प्राप्त उर्वरक वितरित किए जाते हैं। सभी अधिकृत वितरक जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और यहां तक कि ग्राम स्तर पर संचालित खुदरा दुकानों को उर्वरक की आपूर्ति करते हैं। किसान अपने निकटतम किसी भी खुदरा दुकान से उर्वरक खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।

\*\*\*\*\*